कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी

क्रमांकः SPL/02 (CAMP JAIPUR) दिनांकः 06.02.2023

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर

विषयः– **"Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli,Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022** के सम्बन्ध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांकः एफ ( ) FCA / उवसवजी / 2022–23 / 6317 दिनांक 19.12.2022

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022** में परीक्षण करने के उपरान्त जो आक्षेप लगाये गये है जिनकी पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	Point no D के (a), में "existing road", के संबंध में आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार ''उक्त प्रचलित मार्ग पर 1980 से पूर्व डामरीकरण हो जाने के कारण "existing road" माना जावें तथा अब नये सिरे से सम्पूर्ण सडक का वन भूमि डायवर्जन लिया जा रहा है।'' के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार–बार आपको लिखा जा रहा है की यदि सड़क 1980 से पूर्व में निर्मित थी तो इस बाबत् कोई दस्तावेज / प्रमाण उपलब्ध करावें। किन्तु आप द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है। पुनः लेख है कि सडक निर्माण 1980 से पूर्व निर्मित थी बाबत् सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध करावें।	उक्त सड़क निर्माण 1980 से पूर्व निर्मित थी बाबत् सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड़ कर दिया गया है एवं प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है।
2.	प्रकरण में आप द्वारा अवगत कराया गया था की वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मौका जाँच में सत्यापन होने पर सेगमेन्ट 4 में वन भूमि में आने वाली सड़क की लम्बाई बढ़ने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन 3.4764 हैक्ट. के स्थान पर 3.5568 हैक्ट. हो जाने के कारण आपके पत्रांक 397 दिनांक 21.06.2022 द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर, जयपुर को संशोधित गैर वनभूमि 3.5568 हैक्ट. आवंटन करने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत् अवगत कराया गया था। किन्तु अभी तक इस संबंध में उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तन होने वाली वनभूमि 3.5568 हैक्ट. के बदले गैर वनभूमि 3.5568 हैक्ट. वन विभाग को आवंटन हेतु की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है, जबकि इस बाबत् इस कार्यालय के पत्रांक 5535 दिनांक 03.11.2022 द्वारा आपको लिखा जा चुका है। अतः प्रकरण में जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 6718 दिनांक 12.10.2022 द्वारा आवंटित 3.4764 हैक्ट. गैर वन भूमि के स्थान पर 3.5568 हैक्ट. गैर वनभूमि आवंटन बाबत् कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करावें।	संशोधित गैर वनभूमि 3.5568 हैक्ट. आवंटन की कार्यवाही जिला कलक्टर, जयपुर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। आवंटन पत्र प्राप्त होते ही शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड बस्सी, जयपुर

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक: विविध / 891.140.05 दिनांक: 30/1/2023

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मंहगी से दूधली मोड वाया वामनी, शाहपुर, ऑधी, विरासना, नेवर, चामुण्डिया district jaipur यह रास्ता पुराने समय से (1980 से) पहले से संचालित रही है। वर्तमान में भी संचालित है।

(आर0पी0मीणा)
सहायक अभियन्ता
सा0नि0वि0, जमवारामगढ़
जयपुर

(चिम्मन लाल मीणा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़

(अजय भूपेश)
अक्षीक्षण अभियन्ता
सा0नि0वि0, जयपुर